जसरूपचन्द्र बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

प्रकरण संख्या 09/2019

21.02.2019

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) ने व्यक्त किया। अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 01.01.2019 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण संबधित सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर को निर्देश दिये गये कि अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 5 दिनांक 01.01.2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को जरिए पत्रांक 06 दिनांक 01.01.2019 से पुनः सूचित किया जा चुका है।अत:अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर को अंतरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का आवेदन पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर को अंतरित किया गया।जो विधीवत है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

Sd/-

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(जिला कलेक्टर)

जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:52:57 IST
Reason: SelfAttested